13/8/19	आज यह पत्रावली मूलदावा के साथ स्वीकार होने पर पेश हुई। प्रार्थी का वकील उपस्थित आये। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज रिड्यूस कोर्ट की जा चुकी है। इसलिये इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः यह पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु तत्काल ड्रोप कर रिड्यूस कोर्ट की जाती है एवं पूर्व में जारी इन्तरीम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसल शुमार नम्बर है। कक्षी व वकील सलाम मूलदावा है। शुभ्रा	उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner